# <u>न्यायालयः—अमनदीप सिंह छाबडा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर,</u> जिला बालाघाट(म0प्र0)

प्रकरण कमांक 156 ∕ 15 संस्थित दिनांक −24.02.2015 फा.नं.234503001672015

म0प्र0 राज्य द्वारा, थाना बैहर जिला बालाघाट म0प्र0

..अभियोजन

/ <u>/ विरुद्</u>द / /

मनोज पिता मंगलप्रसाद मिश्रा, उम्र–37 साल, जाति ब्राम्हण, निवासी ग्राम कुरेण्डा थाना परसवाड़ा जिला बालाघाट म0प्र0

### ::निर्णय::

## **[ दिनांक 29 / 06 / 2017** को घोषित]

- 1. आरोपी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 507 के अंतर्गत यह आरोप है कि उसने दिनांक 13.11.2014 को रात्रि 9:00 बजे थाना बैहर अंतर्गत फरियादी चंद्रहास चंद्राकर एस.डी.ओ. एम.पी.ई.बी. को उसके मोबाईल नंबर 998100297 पर अनाम संसूचना द्वारा या अपने को छुपाने की पूर्वावधानी करते हुए मोबाईल नंबर 9584003947 से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया था।
- अभियोजन का पक्ष संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थी चन्द्रहास चन्द्राकर एम.पी.ई.बी., एस.डी.ओ. बैहर ने मोबाईल नंबर 9584003947 के अज्ञात धारक आरोपी द्वारा उनके मोबाईल नंबर 9981900297 पर दिनांक 13.11.2014 के रात्रि करीब 9:00 बजे मादरचोद, बहनचोद की गंदी-गंदी गालियाँ देने एवं जान से मारने की धमकी देने एवं द्वांसफार्मर जलाने की धमकी देने की रिपोर्ट दर्ज कराने पर थाना बैहर में अपराध क्रमांक 188 / 14 धारा 507 भा.द.वि. का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान प्रार्थी चन्द्रहास, साक्षी रामकुमार, गन्नूलाल के कथन लेख किये गये तथा अज्ञात आरोपी मोबाईल नंबर 9584003947 के सत्यापित सी.डी.आर. मिलने पर अज्ञात आरोपी उक्त मोबाईल धारक का नाम मोहन पिता बलराम निवासी घोडादेही का होने से उससे पूछताछ एवं कथन तथा मोहन द्वारा एक शपथ पत्र पेश किया गया, जिसमें मोबाईल नंबर 9584003947 को लगभग दो वर्ष पूर्व उसके मित्र मनोज मिश्रा को उपयोग हेत् देना लेख किया है। मनोज मिश्रा से पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसके दोस्त मोहन ने उसे यह मोबाईल नंबर दो वर्ष पूर्व उसे उपयोग हेतु दिया था। दिनांक 13.11.2014 को एस.डी.ओ. चन्द्राकर द्वारा ग्राम क्रेण्डा की बिजली सप्लाई काट देने से नाराज होकर गाली-गुफ्तार

#### फा.नं.234503001672015

किया था। आरोपी मनोज द्वारा उक्त अपराध घटित किया जाना पाये जाने से एवं प्रकरण की विवेचना पूर्ण होने से आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र क्रमांक 09/15 दिनांक 01.02.2015 तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03. प्रकरण में आरोपी मनोज मिश्रा ने कंडिका 01 में लगाये गये आरोप को अस्वीकार किया है, उसने अपने परीक्षण अंतर्गत धारा 313 द.प्र.सं. में स्वयं को निर्दोष व झूठा फसाया जाना बतलाया है। कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं है।

# 04. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न है कि:-

01. क्या आरोपी ने दिनांक 13.11.2014 को रात्रि 9:00 बजे थाना बैहर अंतर्गत फरियादी चंद्रहास चंद्राकर एस.डी.ओ. एम.पी.ई.बी. को उसके मोबाईल नंबर 998100297 पर अनाम संसूचना द्वारा या अपने को छुपाने की पूर्वावधानी करते हुए मोबाईल नंबर 9584003947 से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया था।

## // निष्कर्ष के आधार //

- 05. साक्षी रामकुमार झोड़े (अ०सा०—01) ने कहा है कि वह आरोपी को नहीं जानता है तथा प्रार्थी चंद्रहाश चंद्राकर को जानता है। घटना उसके कथन देने की तिथि से करीब डेढ़—दो साल पूर्व की है। वह उसके साहब चंद्रहाश चद्राकर के साथ ऑफिस में था, साहब ने उसे बताया कि लगभग 70 प्रतिशत गांव की बिजली बिल की राशि जमा नहीं करने पर पूरे गांव की लाईन निमयानुसार काट दी गई है। दूसरे दिन उसे सुबह साहब ने बताया था कि उनके पास किसी अज्ञात व्यक्ति का फोन आया था कि गांव के लोग उनके साथ गाली गलौच कर रहे थे और द्रांसफार्मर जलाने की धमकी दे रहे है। तब उसके साहब चंद्राकर ने अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही किये थे। उसे अधिकारी ने यह नहीं बताया था कि किस नंबर से फोन आया था, जो कथन उसने मुख्यपरीक्षण में किये है वैसा ही पुलिस को कथन देते समय बताया था।
- 06. साक्षी चंद्रहाश चंद्राकर (अ०सा०–02) ने कहा है कि वह आरोपी को नहीं जानता है। वह एस.डी.ओ. एम.पी.ई.बी. के पद पर बैहर में पदस्थ था। घटना आज से लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व की है। उन लोगों ने कुरेण्डा गांव में बिजली का बिल बकाया होने के कारण गांव का विद्युत कनेक्शन काट दिया था और वह उसके घर आ गया था। रात्रि करीब 08:00 बजे उसके पास किसी

अज्ञात व्यक्ति का नए नंम्बर से फोन आया कि आपने गांव का विद्युत कनेक्शन काट दिया है गांव के सभी लोग आपके आफिस में तोड़—फोड़ कर देंगें। उक्त व्यक्ति के द्वारा धमकी दी गई कि यदि कनेक्शन बहाल नहीं किया गया तो ऑफिस में तोड़फोड़ कर नुकसान कर देंगे, जिसके बाद उसने घटना की रिपोर्ट थाना बैहर में की थी, जो प्र.पी.01 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने फोन पर व्यक्ति द्वारा गंदी—गंदी गालियां तथा जान से मारने की धमकी देने के तथ्य से इंकार किया। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि फोन करने वाले व्यक्ति के द्वारा उसे कोई गाली—गलौच व धमकी इत्यादि नहीं दी गई थी, अपितु यह जानकारी दी थी कि गांव में विद्युत प्रवाह काट देने से गांव के लोग उत्तेजित है और तोड़—फोड़ करने की बात कर रहे है, जिस हेतु सुरक्षा की दृष्टि से उसने गांववालों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसके द्वारा फोन कॉल करने वाले के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई थी।

साक्षी शिवाजी तिवारी (अ०सा०–०३) ने कहा है कि वह दिनांक 14.11.2014 को थाना बैहर में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थापना के दौरान प्रार्थी चंद्रहाश चंद्राकर की सूचना पर अपराध क्रमांक 188 / 14 कायम किया था। उक्त अपराध क्रमांक पर मोबाईल चालक का नम्बर 9584003947 के अज्ञात धारक के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 लेख की गई, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को प्रार्थी चंद्रहाश चंद्राकर, गवाह रामकुमार, मोहनलाल के बयान उनके बताये अनुसार लेख किया था। दिनांक 08.01.2015 आरोपी मनोज के द्वारा पेश करने पर गवाहों के समक्ष एक सफेद रंग का मोबाईल वोडा कंपनी की सिम लगा हुआ मोबाईल नम्बर 9584003947 को जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.02 तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही आरोपी मनोज को गवाहों के समक्ष उपस्थिति पंचनामा प्र.पी.03 के अनुसार तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है तथा बी से बी भाग पर आरोपी मनोज के हस्ताक्षर है। विवेचना के दौरान घटना में प्रयुक्त मोबाईल सिम नम्बर के धारक का नाम पता आरोपी से पूछने मोहन पिता बलराम के द्वारा देना बताया था, जिसकी सत्यापित कापी प्रकरण में संलग्न है। जप्तशुदा मोबाईल नम्बर 9584003947 का साईबर से पता करने पर उक्त नम्बर से आरोपी द्वारा प्रार्थी के नम्बर पर एक बार संपर्क होना बताया गया था, जिसकी कापी प्रकरण में संलग्न है। जिसका प्रमाण पत्र अंडर सेक्शन 65–बी(4)(सी) के साक्ष्य में साक्ष्य अधिनियम 1972 की धारा में उक्त सूचना को एक्सेप्ट होना पाया गया, जो प्रकरण में संलग्न है। विवेचना पूर्ण कर उसके द्वारा अंतिम प्रतिवेदन तैयार कर थाना प्रभारी को प्रस्तृत कर चालान न्यायालय में प्रस्तृत किया गया था।

08. साक्षी मोहनलाल(अ०सा०–०4) ने कहा कि वह आरोपी को पहचानता हैं जो उसका मित्र है। घटना करीब तीन वर्ष पूर्व की है उसने अपनी सिम आरोपी मनोज को मित्र होने के नाते उपयोग हेतु दी थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। उसने पुलिस को एक शपथ पत्र दिया

#### फा.नं.234503001672015

था जिसमें उसने आरोपी मनोज द्वारा सिम का उपयोग करने वाली बात बता दी थी। उक्त शपथ पत्र प्र.पी.03 है जिसके ए से ए, बी से बी एवं सी से सी भागों पर उसके हस्ताक्षर है। पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने मोबाईल सिम का नंबर 9584003947 होने तथा पुलिस द्वारा उसके समक्ष आरोपी से उक्त सिम लगा हुआ नीले—सफेंद रंगा का मोबाईल जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.02 तैयार करने की जानकारी न होना व्यक्त किया। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कथन किया है कि उसके द्वारा आरोपी को दिये गये सिम के नंबर के बारे में उसे जानकारी नहीं है। उसके पश्चात सिम का उपयोग किसके द्वारा किया गया वह नहीं बता सकता। उसे बैहर पुलिस थाने में बुलवाकर सिम का नंबर लिखकर उक्त नंबर की सिम आरोपी को देने का उल्लेख करते हुये शपथ पत्र बनवाकर लाने को कहा गया था तथा उसने पुलिस वालों के कहने पर उक्त शपथ पत्र उन्हें दे दिया था। प्र.पी.02 के जप्ती पत्रक पर उसके हस्ताक्षर पुलिस थाना बैहर में कराये गये थे तथा उसके समक्ष आरोपी से किसी प्रकार का मोबाईल या सिम जप्त नहीं किया गया था।

आपराधिक अभित्रास का अपराध यह अपेक्षित करता है कि किसी 09. व्यक्ति को या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को जिसमें वह विशेष हित रखता है, धमकाया गया हो। वर्तमान प्रकरण में परिवादी चंद्रहास चंद्राकरण अ.सा. 02 द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर फोन पर गाली-गलौच तथा जान से मारने की धमकी के तथ्य से स्पष्ट इंकार किया है। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उसे फोन करने वाले व्यक्ति के द्वारा कोई गाली-गलौच व धमकी नहीं दी गई थी, अपितु विद्युत प्रवाह काट देने से गांव के लोगों की उत्तेजना के संबंध में जानकारी दी थी। अन्य किसी साक्षी ने धमकी के तथ्य का समर्थन नहीं किया है। प्रकरण में आरोपी द्वारा कथित मोबाईल नंबर का प्रयोग भी सिद्ध नहीं था क्योंकि मोहनलाल अ.सा.04 ने आरोपी को कथित मोबाईल नंबर की सिम देने के तथ्य से इंकार किया है तथा अभियोजन द्वारा कथित नंबर की सी.डी.आर. को प्रमाणित भी नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में मात्र विवेचक साक्षी की साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध कोई विपरीत निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता क्योंकि घटना के पीड़ित व्यक्ति द्वारा ही अभियुक्त द्वारा आपराधिक अभित्रास अस्वीकार किया है।

10— उपरोक्त संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोजन अपना मामला युक्ति—युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 13.11.2014 को रात्रि 9:00 बजे थाना बैहर अंतर्गत फरियादी चंद्रहास चंद्राकर एस.डी.ओ. एम.पी.ई.बी. को उसके मोबाईल नंबर 998100297 पर अनाम संसूचना द्वारा या अपने को छुपाने की पूर्वावधानी करते हुए मोबाईल नंबर

9584003947 से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया था। अतः आरोपी मनोज पिता मंगलप्रसाद मिश्रा, उम्र—37 साल, जाति ब्राम्हण, निवासी ग्राम कुरेण्डा थाना परसवाड़ा जिला बालाघाट म०प्र० को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 507 के अपराध के अंतर्गत संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

- 11— अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किय जाते हैं।
- 12— प्रकरण में जप्तशुदा मोबाईल जी क्लासिक कंपनी का सिम नंबर 9584003947 लगा हुआ मूल स्वामी को विधिवत् वापस किया जावे तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावे।
- 13— प्रकरण में आरोपी अभिरक्षा में नहीं रहा है। इस संबंध में पृथक से धारा 428 द.प्र.सं के प्रावधानों के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया।

सही / – (अमनदीप सिंह छाबड़ा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर, बालाघाट (म.प्र.) सही / —
(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)

